प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

Tele Phone No:-01371-237093
Fax No:-01371-237093
Email ID:-
eepmgsyidchinyalisaur@rediffmail.com

पत्रांकः– 626/पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0/चि0सौड/ दिनांक 26/05/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभग
कोट वंगला उत्तरकाशी।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्ग गडथ (दिवारीखोल) से गड्थ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 3.5975 हे0 वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव (FP/UK/ROAD/33094/2018) के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय एकीकृत कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी0/यू00सी0पी0/06/185/2019/एफ.सी0/661 दिनांक 06.09.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में विषयगत प्रकरण विधिवत स्वीकृति हेतु प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर लगाई गयी आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवयक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क0सं0	आपत्ति/कमियां	निराकरण
1	State Government may submit the revised CA scheme of Rs. 24,26,039/- as per which the amount is deposited in CAMPA fund.	Rs. 24,26039 की revised CA Scheme की सत्यापित प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न कर दी गई है।
2	State Government may submit the mutation documents and khatauni in original.	Mutation documents /आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि एवं खतौनी खतौनी मूल रूप में पत्र के साथ संलग्न कर दी गई है।
3	Prior to Stage-II approval state Government is required to notify the CA area (Civil Land) as Reserve Forest/Protected Forest as per the direction given in guideline 2.4(i).	उक्त बिन्दु का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है। Guideline 2.4(i) के अनुसार CA area को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना है जिस हेतु पूर्व में आपके कार्यालय पत्रांक 3294/12–1 कोट बगला दिनाक 09.03.2021 द्वारा वन संरक्षक भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती को पत्र प्रेषित किया गया है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार तीन प्रतियों में।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0सिंचाई खण्ड
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के आदेश सं0–1331/8–1(2), दिनांक 01.02.2020 के द्वारा जारी निर्धारित दरों के अनुसार तैयार किया गया।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु योजना का प्राक्कलन ।

परियोजना का नाम :– जनपद उत्तरकाशी मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गड़थ दिवारीखोल से गड़थ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.5975 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यार्वतन।

वृक्षारोपण स्थल का नाम :– ग्राम उपरीकोट एवंखुरकोट सिविल खसरा नं0– 722 एवं 505 **वृक्षा0 क्षे0फ0** :– 7.195 है0।

वृक्षारोपण व्यय प्रति है0 (1100 पौध)

क्र0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
	प्रथम चरण :– अग्रिम मृदा कार्य।					
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	है0	181.00	है0	181.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1	है0	5436.00	है0	5436.00
3	दीवालबन्दी (फन्सिंग) 150 रनिंग मी0 150x0.60+0.45/2x1.20=94.50M^3	1	है0	37705.00	है0	37705.00
4	गड्डा खुदान (0.30×0.30×0.45)	1100	गढ्ढे	11.42	गढ्ढा	12562.00
5	निरीक्षण बटिया बनाना	1	है0	1095.00	है0	1095.00
6	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) 75 प्रतिशत पॉलोथीन वैग पौधरोपण हेतु	1100	पौध	9.75	पौध	10725.00
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य।	1.0	है0	10000.00	है0	10000.00
8	अन्य व्यय जैसे यन्त्र, सयन्त्र औजार तेज करना एवं अन्य कार्यो पर व्यय	1.0	है0	1000.00	है0	1000.00
	योग :– प्रथम चरण					**78704.00**
	द्वितीय चरण :– रोपण कार्य।					
1	पौधों का रखरखाव (द्वितीय वर्ष)	1100	पौध	1.89	पौध	2079.00
2	पौध ढुलान मय 10 प्रतिशत ढुलान में क्षतिपूर्ति सहित 25 प्रतिशत नंगी व 75 प्रतिशत बैग पौध लदाई व उतराई सहित।	1100	पौध	7.79	पौध	8569.00
3	कंकड पत्थर छानकर गड्ढों का खाद/किटनाशक मिलाकर भरान करना।(0.30×0.30×0.45)	1100	गढ्ढे	2.04	गढ्ढा	2244.00
4	पौधरोपण करना अच्छी प्रकार दबाना, थावला बनाना व रोपण क्षेत्र के अन्दर ढुलान सहित।	1100	पौध	3.84	पौध	4224.00
5	रासायनिक खाद 25 ग्रा0 प्रति गड्ढा/किटनाशक 16/–कि0	1100	पौध	1.35	पौध	1485.00
6	निराई–गुडाई व मल्चिंग (दो बार)	1100	पौध	5.05	पौध	5555.00
7	रोपण वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव पर व्यय	1	है0	7725.00	है0	7725.00
8	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
9	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो, तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य	1	है0	1700.00	है0	1700.00
	योग :– द्वितीय चरण					**34265.00**
	तृतीय चरण :– अनुरक्षण प्रथम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	निराई–गुडाई व मल्चिंग कार्य	1100	पौध	2.53	पौध	2783.00
3	वनीकरण क्षेत्रों में रोपित पौधों की सिचाई।	1100	पौध	1.50	पौध	1650.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :–					**15417.00**
	चतुर्थ चरण :– अनुरक्षण द्वितीय वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	निराई–गुडाई व मल्चिंग कार्य	1100	पौध	2.53	पौध	2783.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :–					**13767.00**

	पंचम चरण :— अनुरक्षण तीतृय वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृत्तीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :—					**10984.00**
	षष्ठम चरण :— अनुरक्षण चर्तथ वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :—					**10984.00**
	सप्तम चरण :— अनुरक्षण पंचम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :—					**10984.00**
	अष्ठम चरण :— अनुरक्षण षष्ठम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :—					**10984.00**
	नवम चरण :— अनुरक्षण सप्तम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :—					**10984.00**
	दशम चरण :— अनुरक्षण अष्ठम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :—					**10984.00**
	एकदशम चरण :— अनुरक्षण नवम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :—					**10984.00**
	द्ववदशम चरण :— अनुरक्षण दशम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
	योग :—					**10984.00**
	कुल योग :—					**230025.00**

नोट :— प्रभाग के आगणन अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि 230025.00 है, किन्तु प्रमुख वन सरंक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश सं0—972/3—5—2 दिनांक 21.11.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020—21 के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि मु0—3,37,184.00 निर्धारित की गई है। अतः क्षति0 वृक्षा0 की धनराशि मु0—3,37,184.00 से निकाली जा रही है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है0 = 3,37,184.00

परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल = 3.5975 है0 × 2 = 7.195 है0।

दोगुने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि = 7.195 × 3,37,184.00 = 2426038.88 रू0

Or Say = 24,26,039.00 Rs.

Checked For Rs. 24,26,039.00/—
Draftsman
Uttarkashi Forest Division
Uttarkashi

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वनगजि

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

नकल ज० वि०रहित खतौनी मौजा खुरकोट पट्टी बरसाली तहसील डुण्डा, जिला-उत्तरकाशी।

(फसली वर्ष 1428 से 1433 तक)

भूलेख प्रपत्र सं० प–11

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
	वर्ग 8- भूमि जो सरकारी विभागों के अधिकार में हो—														
38	वन विभाग क्षतिपूरक वृक्षारोपण x	1421 फ०से	505	5.605 हे०											
			1	5.605											
									असल से नकल तैयार की गई है।						

नकल ज० वि० रहित खतौनी मौजा उपरीकोट पट्टी बरसाली तहसील डुण्डा, जिला- उत्तरकाशी ।

भूलेख प्रपत्र सं0 प–11

(फसली वर्ष 1425 से 1430 तक)

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
	श्रेणी 9(3) क (ii)- ऐसी वन जिसमें वर्गीकरण या प्रशासन किसी वन सम्बन्धी विधान के अधीन वन के रूप में कर दिया है –														
31	वन विभाग के प्रबन्ध एवं प्रशासनिक नियंत्रण में वृक्षारोपण हेतु		722	2.200											
		योग-1		2.200											

असल से नकल तैयार की गई है।

डुण्डा (उत्तरकाशी)

ग्रा० स० क्रमांक 239
दिनांक 6/3/21
पत्रावली

कार्यालय- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्याः 3495/ग्यारह-विविध (2006-07) दिनांक 03 मार्च,2021

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
कोटबंगला, उत्तरकाशी।

विषयः- **उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसौड़ तहसील के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गढथ(दिवारी खोल) मोटर मार्ग से गडथ लिंक मोटर मार्ग लं0 4.875 में निर्माण हेतु 7.805हे0 सिविल वन भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावेदन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अधिशासी अभियन्ता,पी0एम0जी0एस0वाई0,सिचाई खण्ड,चिन्यालीसौड़ के पत्र संख्या:945/पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0/चि0सौड़/वनभूमि दिनांक 06 नवम्बर,2020 के द्वारा अवगत कराया गया था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गडथ (दिवारी खोल)से गडथ लिंक मोटर मार्ग लम्बाई 4.875 में निर्माण हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्याः 08बी/यू0सी0पी0/06/185/2019/एफ0सी0/1091 दिनांक 28.08.2020 के द्वारा विभाग को हस्तान्तरित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता,पी0एम0 जी0एस0वाई0,सिचाई खण्ड,चिन्यालीसौड़ द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु विकास खण्ड,डुण्डा के ग्राम उपरीकोट के ख0सं0 722 रक्वा 2.200हे0 एवं ग्राम खुरकोट के खसरा संख्याः 505 रक्वा 5.605 हे0 कुल रक्वा 7.805 हे0 भूमि चयनित की गयी है।

उक्त भूमि के स्थालीय निरीक्षण हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या:1003/ग्यारह-विविध(2017-18)दिनांक27नवम्बर,2020के द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0,चिन्यालीसौड़ एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ स्थालीय निरीक्षण कर वन अधिनियमों के अनुरूप समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत सुस्पष्ट आख्या हेतु उप जिलाधिकारी,डुण्डा को उक्त अधिकारी/कर्मचारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। उप जिलाधिकारी,डुण्डा द्वारा अपने पत्र संख्या:694/पी0ए0-विविध-जांच पत्रा-2020-21 दिनांक 01मार्च,2021 के द्वारा अगवत कराया है कि उपरोक्त के कम में राजस्व निरीक्षक,डुण्डा, राजस्व उप निरीक्षक, बडेथी, याचक विभाग के प्रतिनिधि सहायक अभियन्ता, श्री कृपाल सिंह सैनी, अवर अभियन्त,श्री अरूण नौटियाल, वन विभाग के वन दरोगा श्री प्रीतम सिंह चौहान, वनवीर अधिकारी, श्री ममराज विघणा के साथ ग्राम उपरीकोट के ख0सं0 722 रक्वा 2.200हे0 तथा ग्राम खुरकोट के खसरा संख्याः 505 रक्वा 5.605हे0 कुल रक्वा 7.805हे0 का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा बन्दोवस्ती नक्शे के अनुसार मौके की सीमा से उक्त अधिकारी/

Photo Copy Attested
सहायक अभियन्ता (तृतीय)
पी०एम०जी०एस०वाई०
चिन्याली सौड़ (उत्तरकाशी)

क्रमश.........2

कर्मचारियों को अवगत कराया गया तथा उक्त भूमि अब्बल ही NON ZA खतौनी में विभाग के नाम दर्ज है।

अतः उक्त भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी,डुण्डा की जांच आख्या/मय खतौनी के संलग्न कर आपको नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-यथोपरि।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपिः निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उप जिलाधिकारी,डुण्डा।
2-अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0वृत्त मंसूरी।
3-अधिशासी अभियन्ता,पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0वृत्त चिन्यालीसौड़
4-तहसीलदार, चिन्यालीसौड़/डुण्डा।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।
3/3/2021

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.
सिंचाई खण्ड चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी

पत्रांकः284 /अधि०अभि०/पी०एम०जी०एस०वाई०/सिं०ख०/ चि०/वनभूमि/प्र० दिनांक मार्च 2021।
प्रतिलिपि सहायक अभियंता तृतीय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.
सिंचाई खण्ड चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता (तृतीय)
पी०एम०जी०एस०वाई०
चिन्याली सौड़ (उत्तरकाशी)

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
डुण्डा, उत्तरकाशी ।

सेवा में,

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी ।

संख्या 694 /पी0ए0 विविध जांच पत्रा0 2020–21 दिनांक 01 मार्च 2021

विषयः– **उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसौड तहसील के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गढथ (दिवरी खोल) मोटर मार्ग से गढथ लिंक मोटर मार्ग लं0 4.875 में निर्माण हेतु 7.805 है0 सिविल वन भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावेदन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1003/ग्यारह–विविध (2017–18) दिनांक 27 नवम्बर 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त पत्र के साथ सलग्न अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड चिन्यालीसौड के पत्रांक संख्या 63/ पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0खं0/चि0सौ0/वन भूमि दिनांक 04 फरवरी 2021 के सम्बन्ध में जांच तहसीलदार डुण्डा से जांच करवायी गयी। उपरोक्त के क्रम में राजस्व निरीक्षक डुण्डा, राजस्व उप निरीक्षक बडेथी, याचक विभाग के प्रतिनिधि सहायक अभियन्ता श्री कृपाल सिंह सैनी, अवर अभियन्ता श्री अरूण नोटियाल वन विभाग के वन दरोगा श्री प्रीतम सिंह चौहान, वनवीर अधिकारी श्री ममराज विघाणा के ग्राम उपरीकोट तथा खुरकोट में वन हस्तान्तरण प्रस्ताव के अन्तर्गत क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम उपरीकोट के ख0न0 722 में रकवा 2.200 है0 तथा ग्राम खुरकोट के खसरा न0 505 रकवा 5.605 है0 कुल 7.805 है0 का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा वन्दोवस्ती नक्शे के अनुसार मौके की सीमा से अवगत कराया गया। उक्त भूमि अव्वल ही वर्तमान NON 2A खतौनी में दर्ज है, जिसकी नकल सलंग्न है।

अतएव जांच आख्या महोदय की सेवा में सादर सम्प्रेषित।

संलग्नः–यथोपरि

भवदीय,

उप जिलाधिकारी,
डुण्डा, उत्तरकाशी ।

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता (तृतीय)
पी0एम0जी0एस0वाई0
चिन्याली सौड़ (उत्तरकाशी)

सेवा में

श्रीमान तहसीलदार
डुण्डा।

विषय– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गढ़खा (डिण्डयाली खोल) से गढ़घा [illegible] तक मोटर मार्ग लम्बाई 4.875 किमी के निर्माण हेतु 7.805 है० सिविल सोयम भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड चिन्यालीसौड़ के पत्रांक 131/ पी०एम०जी०एस०वाई०/ सि० ख०/ चि० सौड़/ व० [illegible] दिनांक 04 फरवरी 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्बन्धित विभाग एवं अधिशासी अभियन्ता पत्रांक 63/ पी०एम०जी० [illegible] सि० ख०/ चि० सौड़/ वन दिनांक 21 जनवरी 2021 के क्रम में एवं [illegible] दिनांक 10.2.2021 को ग्राम डुण्डा [illegible] में ख०नं० 722 रकबा 2.200 है० तथा ग्राम [illegible] में ख०नं० 505 रकबा 5.605 है० कुल 7.805 है० का स्थलीय निरीक्षण सम्बन्धित विभाग के प्रतिनिधि सहायक अभियन्ता श्री [illegible] सैनी, अवर अभियन्ता श्री [illegible], वन विभाग के प्रतिनिधि वन दरोगा श्री प्रीतम सिंह चौहान, [illegible] श्री [illegible] के साथ किया गया है, [illegible] प्रश्नगत भूमि की [illegible] [illegible] [illegible] जो [illegible] है जिसका [illegible] विभाग को उपलब्ध कराया [illegible] भूमि [illegible] [illegible]
[illegible] रिपोर्ट सूचनार्थ सेवा में प्रेषित।

[signature] 13/02/2021

दिनांक 14-2-2021
स्थान– डुण्डा – महोदय

राजस्व निरीक्षक
डुण्डा।

R-122

महोदय,
राजस्व निरीक्षक डुण्डा की आख्या
सेवा आवश्यक उप जिलाधिकारी महोदय डुण्डा
को हेतु आ०का० हेतु अग्रसारित।

[signature]
तहसीलदार,
डुण्डा
17/02/21

S.T

[signature]
उप जिलाधिकारी
डुण्डा, उत्तरकाशी

Photo Copy Attested

[signature]
सहायक [illegible] (तृतीय)
पी०एम०जी०एस०वाई०
चिन्याली सौड़ (उत्तरकाशी)

:: आदेश ::

शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010दिनांक 17-12-2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें सन्दर्भित शासनादेश में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि हस्तान्नातरण के मामलों में जनपदों द्वारा चिह्नित/प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने का प्राधिकार जिले के भीतर जिलाधिकारियों को प्रतिनिधायित किया गया है।

शासनादेश संख्या 881 XVII(2)/2009 दिनांक 01-04-2009 के द्वारा जनपद से प्रस्तावित 757.226हे0 भूमि के सापेक्ष 537.868 हे0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिह्नित की गयी है तथा अवशेष 219.358हे0 भूमि प्रस्तावित है । वर्तमान में तहसील डुण्डा से 267.181हे0 भूमि तथा तहसील बडकोट से 43.399 हे0 कुल 310.580हे0 भूमि प्रस्तावित की जा रही है। उपरोक्त शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/ 2010 दिनांक 17-12-2012 के अनुसार पूर्व में प्रस्तावित 219.358हे0 भूमि तथा नवप्रस्तावित 310.580हे0 भूमि कुल 529.938हे0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा वन विभाग के नाम नामान्तरित की जा सकती है ।

अतः उपरोक्तानुसार पूर्व में प्रस्तावित 219.358हे0 भूमि तथा नवप्रस्तावित 310.580हे0 भूमि कुल 529.938हे0 भूमि को उपरोक्त कार्य हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरण करने का अनुमोदन दिया जाता है ।

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या: R-49/पी0ओ0-2013 दिनांक जनवरी, 08 , 2013।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2- समस्त उप जिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी ।
3- संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी उत्तरकाशी, कोटबंगला
4- संबंधित विभागीय अधिकारी, उत्तरकाशी ।

Photo Copy Attested

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

सहायक अभियन्ता (तृतीय)
पी०एम०जी०एस०वाई०
चिन्याली सौड़ (उत्तरकाशी)

मूलेख प्रपत्र सं0 प–11

	2	3	4	5	6	7	8
	उद्धरण खतौनी ग्राम टिहरी (?) दाडिल कुकोट पट्टी बाड़ागड्डी तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी						
	फसली साल 1416 से 1421 तक (तहसील अभिलेखागार उत्तरकाशी)						
	श्रेणी 9 (3) उ0 उत्तरांचल सरकार						
38	उत्तरांचल सरकार	1	0.069				
	वर्ग 9(3) उ0	3	0.058				
		10	0.038				
		12	0.045				
		"	"				
		"	"				
		"	"				
		504	0.501				
		505	5.605				
		506	13.341				
		"	"				
		"	"				
		18 कित्ता	[illegible]				
	खाते का योग	271	72.150				

मुताबिक आदेश जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी दिनांक 12-04 की आ0 सं0
20 दिनांक 8 जनवरी 2013 के द्वारा ग्राम कुकोट की
नाप 2.A खतौनी में दर्ज खाता नं0 505 रकबा 5.605 हे0
कृषि ... हेतु वन विभाग के नाम
हस्तान्तरित / नामान्तरित की गई है दर्ज किया
ह0 / अ0
राजस्व उपनिरीक्षक
बोगी डुण्डा
11.5.2013

सत्यप्रतिलिपि ...

[illegible] 2021

Photo Copy Attested
सहायक अभियन्ता (तृतीय)
पी0एम0जी0एस0वाई0
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

	श्रेणी ए(२) के (i)	कृषि योग्य बंजर			
	श्रेणी ए(२) के (ii)	ऐसे वन जिसमें कोई वनीकरण या प्रशासन किसी वन सम्बन्धी विधान के अधीन वन के रूप में कर दिया है			
20	वनपंचायत उपरिकोट -२-		०22	५.२९९	[illegible] शासनादेश संख्या [illegible] — 801/18(2) 2000 दि० 01 अप्रैल 2014 के क्रम में ग्राम उपरिकोट के [illegible] 722 मध्ये 2.200 हे० [illegible] वन विभाग के प्रबन्धन एवं प्रशासनिक नियन्त्रण में सुरक्षित रखे जाने के कारण हैं [illegible]
		योग	१	५.२९९	
	उत्तरांचल प्रदेश सरकार				[illegible]

Photo Copy Attested

सहायक [illegible] यन्ता (तृतीय)
पी०एम०जी०एस०वाई०
चिन्याली सौड़ (उत्तरकाशी)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

E.[redacted] [redacted]uttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

[redacted] 3294 /12–1, कोटबंगला, दिनांक 09/03/ 2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषयः– **जनपद–उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत गडथ (दिवारीखोल) से गडथ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.5975 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/33094/2018।**

संदर्भ :– **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक–1911/1जी–5070 दिनांक 15.01.2021।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु 3.5975 है0 के एवज में 7.195 है0 सिविल सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी है। कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के आदेश संख्या 3495/ग्यारह–विविध/(2006–07) दिनांक 03 मार्च, 2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–9(3)ड. व वर्ग–8 की तहसील डुण्डा अन्तर्गत ग्राम उपरीकोट खसरा नं0 722 रक्वा 2.200 है0 तथा खसरा नं0 505 रक्वा 5.605 है0 कुल रक्वा 7.805 है0 अब्बल ही NON ZA खतौनी में वन विभाग उत्तराखण्ड के नाम आवंटित/हस्तान्तरित की गयी है।

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित 7.195 है0 सिविल सोयम भूमि को **"भारतीय वन अधिनियम 1927" यथासंशोधित (केन्द्रीय अधिनियम सं0–16 वर्ष 1927) की धारा–29** के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाना है। उक्त हेतु अधिसूचना का ड्राफ्ट प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित किया जा रहा है। यदि आप सहमत हो तो उक्त अधिसूचना का ड्राफ्ट शासन को प्रेषित करना चाहें।

संलग्नकः–
1. **अधिसूचना का ड्राफ्ट।**
2. **कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का आदेश की छायाप्रति।**
3. **खाता खतौनी की छायाप्रति।**

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

संख्या– 3294 /12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता (तृतीय)
पी0एम0जी0एस0वाई0
चिन्याली सौड़ (उत्तरकाशी)